



दैनिक संपादकीय विश्लेषण

विषय

भारत की लिंग अंतर रिपोर्ट रैंकिंग एक
चेतावनी के रूप में

www.nextias.com

भारत की लिंग अंतर रिपोर्ट रैंकिंग एक चेतावनी के रूप में

संदर्भ

- वैश्विक आर्थिक शक्ति और डिजिटल नवाचार के रूप में उभरने के बावजूद, भारत लैंगिक समानता के मामले में गंभीर चुनौतियों का सामना करता है। विश्व आर्थिक मंच की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट (2025) के अनुसार भारत 148 देशों में 131वें स्थान पर है, विशेष रूप से आर्थिक भागीदारी और स्वास्थ्य एवं जीवित रहने के स्तंभों में स्कोर बेहद कम है।

मुख्य संरचनात्मक समस्याएँ

- **स्वास्थ्य और जीवित रहना**
 - **जन्म के समय लिंगानुपात:** भारत का लिंगानुपात विश्व में सबसे अधिक असंतुलित बना हुआ है, जो पुत्रों की सामाजिक प्राथमिकता को दर्शाता है।
 - **स्वस्थ जीवन प्रत्याशा:** महिलाओं की स्वस्थ जीवन प्रत्याशा पुरुषों से कम हो गई है, जो अपेक्षित प्रवृत्ति के विपरीत है।
 - **अनीमिया की व्यापकता:** NFHS-5 के अनुसार 15–49 वर्ष की लगभग 57% महिलाएँ अनीमिया से पीड़ित हैं, जिससे उनके सीखने, कार्य करने और सुरक्षित गर्भधारण करने की क्षमता प्रभावित होती है।
 - **महिला स्वास्थ्य की उपेक्षा:** प्रजनन स्वास्थ्य, निवारक देखभाल और पोषण में लगातार निवेश की कमी—खासकर ग्रामीण और निम्न आय वर्ग की महिलाओं के लिए—राष्ट्रीय प्रगति को बाधित करता है।
- **आर्थिक भागीदारी और अवसर**
 - **कम श्रम शक्ति भागीदारी:** भारत इस सूचकांक में 143वें स्थान पर है, और महिला श्रम भागीदारी लगातार कम बनी हुई है।
 - **वेतन अंतर:** महिलाओं को पुरुषों की तुलना में तीन गुना कम वेतन प्राप्त होता है।
 - **अर्थव्यवस्था का खोया हुआ संभावित लाभ:** लैंगिक अंतर को बंद करने से 2025 तक भारत की GDP में \$770 बिलियन की वृद्धि हो सकती थी।
 - **धीमी प्रगति:** वर्तमान गति से वैश्विक आर्थिक लैंगिक अंतर को बंद करने में 100 साल से अधिक लग सकते हैं—और भारत इससे भी पीछे है।
- **अदृश्य अवैतनिक देखभाल कार्य का भार**
 - **अदृश्य श्रम:** भारतीय महिलाएँ पुरुषों की तुलना में सात गुना अधिक निःशुल्क घरेलू कार्य करती हैं, जो राष्ट्रीय लेखांकन में दर्ज नहीं होता और सार्वजनिक नीति में उपेक्षित रहता है।
 - **अपर्याप्त प्रतिनिधित्व:** महिलाएँ निर्णय लेने वाले स्थानों में बेहद कम प्रतिनिधित्व रखती हैं—चाहे बोर्डरूम हों या बजट समितियाँ—जिससे उनकी बुनियादी सच्चाई नीति निर्धारण में प्रतिबिंबित नहीं होती।

जनसांख्यिकीय परिवर्तन: वृद्धावस्था की चुनौती

- **बढ़ती वृद्ध जनसंख्या:** 2050 तक वरिष्ठ नागरिक भारत की जनसंख्या का लगभग 20% बनेंगे, जिनमें बहुसंख्यक बेहद वृद्ध महिलाएँ और विधवाएँ होंगी।
- **निर्भरता अनुपात:** यदि महिलाएँ कार्यबल से बाहर रहती हैं तो निर्भरता अनुपात बढ़ेगा, जिससे आर्थिक और राजकोषीय स्थिरता पर दबाव बढ़ेगा।

- **आर्थिक अनिवार्यता:** लैंगिक समानता केवल अधिकार का विषय नहीं—बल्कि वृद्ध होती जनसंख्या और गिरती प्रजनन दर की स्थिति में विकास बनाए रखने की आवश्यकता है।

नीतिगत अंतर और सिफारिशें

- **देखभाल अवसंरचना**
 - **देखभाल सेवाओं में निवेश करें:** बाल देखभाल केंद्र, वरिष्ठ नागरिक सेवाएं, एवं मातृत्व लाभ का विस्तार करने से अवैतनिक कार्य का भार कम होगा और महिलाएँ कार्यबल में जुड़ सकेंगी।
 - **वैश्विक मॉडल से सीखना:** उरुग्वे और दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने देखभाल अर्थव्यवस्थाओं को अपने विकास में सफलतापूर्वक एकीकृत किया है।
- **मान्यता और पुनर्वितरण**
 - **नीति एकीकरण:** समय उपयोग सर्वेक्षण, जेंडर बजटिंग, और देखभाल अवसंरचना में निवेश द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों को अवैतनिक देखभाल कार्य को मान्यता देनी होगी।
- **स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा**
 - **बजट प्राथमिकता:** महिलाओं के प्राथमिक स्वास्थ्य पर विशेष बजट आवंटन कल्याण और आर्थिक समावेशन के लिए आवश्यक है।
 - **एकीकृत नीतियाँ:** स्वास्थ्य, श्रम और सामाजिक सुरक्षा की नीतियों को जोड़ना नकारात्मक प्रवृत्तियों को पलटने के लिए अनिवार्य है।
- **अन्य प्रयास**
 - शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण तक पहुँच बढ़ाना
 - आर्थिक भागीदारी को बढ़ाना
 - स्वास्थ्य और सुरक्षा में सुधार
 - राजनीतिक और कानूनी सशक्तिकरण
 - प्रौद्योगिकी और वित्तीय समावेशन का लाभ लेना
 - समुदायों को जोड़ना और सांस्कृतिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना

निष्कर्ष

- भारत में लैंगिक समानता के लिए संरचनाएँ और आकांक्षाएँ मौजूद हैं, लेकिन वास्तविक निवेश की आवश्यकता है:
 - महिलाओं की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने वाले सार्वजनिक स्वास्थ्य सिस्टम
 - अवैतनिक देखभाल कार्य को पुनर्वितरित करने वाली देखभाल सेवाएँ
 - महिलाओं को आर्थिक निर्माता के रूप में सशक्त करने वाली नीतियाँ

संबंधित पहलकदमियाँ और प्रयास

- **आर्थिक सशक्तिकरण**
 - **स्टैंड-अप इंडिया:** ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक की बैंक ऋण सहायता महिला उद्यमियों को प्रदान करता है।
 - **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY):** महिला-नेतृत्व वाले व्यवसायों को माइक्रोफाइनेंस प्रदान करता है; 68% ऋण महिलाओं को गए हैं।

- **महिला ई-हाट:** महिला उद्यमियों के लिए उत्पादों की सीधी बाज़ार पहुंच का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म।
- **राष्ट्रीय महिला कोष (RMK):** गरीब महिलाओं को आय सृजन गतिविधियों हेतु सूक्ष्म ऋण प्रदान करता है।
- **शिक्षा और कौशल विकास**
 - **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP):** बालिका शिक्षा को बढ़ावा देता है और लिंग आधारित गर्भ चयन का मुकाबला करता है।
 - **समग्र शिक्षा और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय:** पिछड़े क्षेत्रों में बालिकाओं की आवासीय शिक्षा को केंद्रित करता है।
 - **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY):** बेहतर रोजगार की संभावनाओं हेतु महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करता है।
- **स्वास्थ्य और पोषण**
 - **मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0:** आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से महिलाओं और बच्चों को पोषण एवं स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है।
 - **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY):** गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को मातृत्व लाभ प्रदान करता है।
 - **उज्ज्वला योजना:** मुफ्त LPG कनेक्शन प्रदान करता है, जिससे घरेलू प्रदूषण से स्वास्थ्य जोखिम कम होता है।
- **राजनीतिक सशक्तिकरण**
 - **पंचायती राज संस्थाओं में 33% आरक्षण:** नींव स्तर पर महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करता है।
 - **महिला आरक्षण विधेयक (संविधान संशोधन बिल, 2023):** 2029 से संसद और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण को अनिवार्य करता है।
- **सुरक्षा और कानूनी सहायता**
 - **मिशन शक्ति:** महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए एक समग्र योजना, जिसमें वन स्टॉप सेंटर और महिला हेल्पलाइन सम्मिलित हैं।
 - **नारी अदालत:** सामुदायिक स्तर पर महिलाओं की शिकायत निवारण की व्यवस्था।
 - **मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017:** मातृत्व अवकाश को 26 सप्ताह तक बढ़ाता है और क्रेच सुविधाओं को अनिवार्य करता है।

Source: TH

दैनिक मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: हाल ही में जारी जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग किस प्रकार गहरी सामाजिक-सांस्कृतिक और नीतिगत चुनौतियों को दर्शाती है?

